



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122022-241150
CG-DL-E-16122022-241150

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 789]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 16, 2022/अग्राहायण 25, 1944

No. 789]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 16, 2022/AGRAHAYANA 25, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवम् सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2022

सं. 01/2022- सेवा कर

सा.का.नि. 884(अ).—जबकि, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि 1 जुलाई, 2012 से प्रारंभ होने वाली और 30 जून, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि में (इसके बाद 'उक्त अवधि' के रूप में संदर्भित), ऐसी प्रथा के अनुसार, जो साधारणतया प्रचलित थी, दीपस्तंभ अधिनियम, 1927 (1927 का 17) के तहत दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय द्वारा एकत्र किए गए "प्रकाश- शुल्क" पर सेवा कर का उद्ग्रहण नहीं किया था और यह सेवा उक्त अवधि के दौरान सेवा कर के लिए दायी थी, जिसका उक्त प्रथा के अनुसार भुगतान नहीं किया जा रहा था।

अतः, अब, केंद्र सरकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11ग, के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 83, और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 174 की उप-धारा (2) के खंड (ड), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि दीपस्तंभ अधिनियम, 1927 (1927 का 17) के तहत दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय द्वारा उक्त अवधि में, उक्त प्रथा के कारण, एकत्र किए गए "प्रकाश- शुल्क" पर वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 66ख के तहत देय सेवा कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

[फा.सं. सीबीआईसी--6/1/2022- सीएक्स-1]

रूबल सरोहा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th December, 2022

No. 01/2022-Service Tax

G.S.R. 884(E).—Whereas, the Central Government is satisfied that in the period commencing on and from the 1st day of July, 2012 and ending with the 30th day of June, 2017 (hereinafter referred to as ‘the said period’), according to a practice that was generally prevalent, there was non-levy of service tax, on the “light-dues” collected by the Directorate General of Lighthouses and Lightships under the Lighthouse Act, 1927 (17 of 1927) and this service was liable to service tax, during the said period, which was not being paid as per the said practice.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11 C of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with section 83 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), and clause (e) of sub-section (2) of section 174 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby directs that the service tax payable under section 66B of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), on the “light-dues” collected by the Directorate General of Lighthouses and Lightships under the Lighthouse Act, 1927 (17 of 1927), in the said period, but for the said practice, shall not be required to be paid.

[F. No. CBIC-6/1/2022-CX-I]

RUBAL SAROHA, Under Secy.